UPMZ050011942022

न्यायालय CIVIL JUDGE S.D.F.T.C., Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(SMT. SURABHI SHREE GUPTA), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP02504

वाद संख्या–835/2022

बिन्नू सिंह आदि बनाम श्रीमती वारिजा शर्मा आदि

31.01.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–46 क व 48 क वादीगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद हाजा में कोई विवाद पक्षगण के मध्य नहीं रहा और प्रतिवादी बैंक का कुल मतालबा बेबाक हो चुका है। इस कारण वादी वाद को चलाना नहीं चाहता है, वाद को विड्रो कर, उनके द्वारा फैहिस्त कागजात 9 ग से दाखिल असल बैनामा दिनांकित 20.05.2022 एवं 12.11.2007 वापिस करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र वाद वापसी हेतु पेश किया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के अन्तर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि वादी अपने वाद का स्वामी होता है तथा वह किसी भी स्तर पर अपने वाद को वापस लेने हेतु स्वतंत्र होता है। चूँकि वादी अपना वाद वापस लेना तथा वाद में जमान अपने कागजात बैनामा आदि को वापिस लेना चाहता है। प्रार्थना–पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के पास अपना वाद वापस लेने के लिए पर्याप्त आधार है। वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना –पत्र 46 व 48 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 46 क व 48 क इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वादीगण समान वाद कारण पर समान पक्षकारों के विरूद्ध कोई नवीन वाद योजित नहीं करेंगे। वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली में दाखिल असल कागजात नियमानुसार वादीगण को प्राप्त कराये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुरभि श्री गुप्ता)
सिविल जज (सी0 डि0)/एफ.टी.सी.
मुजफ्फरनगर।

दिनांक 31.01.2024

Digitally signed by SURABHI SHREE GUPTA
Date: 2024.01.31 16:45:35 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge (S.D.),FTC